



भारत में भिक्षावृत्ति

परलिमिस् के लिये: [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रपिर्ट, समवर्ती सूची, आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन, गरीबी, बेरोज़गारी](#)

मेन्स के लिये: भिक्षावृत्ति, भारत में सामाजिक कल्याण हेतु वधिकि ढाँचा, भिक्षावृत्तिक अपराधीकरण।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

11.11.22 11.11.22 11.11.22 11.11.22 11.11.22 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने माना कि कोई दान-परोपकार नहीं, बल्कि संवैधानिक न्यास (Constitutional Trust) है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** के तहत राज्य के उस दायित्व पर बल दिया, जिसके अंतर्गत गरमिपूर्ण जीवन की रक्षा करना सम्मलित है, तथा यह सुनिश्चित करने हेतु नरिदेश दिए कसिंस्थाएँ इन अधिकारों का संरक्षण करें।

भारत में भिक्षावृत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख नरिदेश क्या हैं?

- **सुरक्षा एवं संरक्षण:** महिलाओं और बच्चों के लिये अलग और सुरक्षित सुवधिएँ, जनिमें बाल देखभाल, परामर्श तथा शकिषा शामिल हों।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों को भिक्षावृत्ति गृह में नहीं रखा जाना चाहिये बल्कि [उनहेंकशिोर न्याय \(बालको की देखरेख और संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#) के तहत बाल कल्याण संस्थानों में भेजा जाना चाहिये।
 - यह भारत की संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC) के तहत प्रतबिद्धताओं के अनुरूप है।
- **स्वास्थ्य और कल्याण:** प्रवेश के 24 घंटे के भीतर अनवार्य स्वास्थ्य जाँच।
 - आहार में पोषण स्तर की नगिरानी के लिये डायटीशियन की नयुक्ति।
- **संरचना और रखरखाव:** प्रत्येक दो वर्ष में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष द्वारा आधारभूत संरचना का ऑडिट।
 - भीड़-भाड़ रोकने के लिये सख्त क्षमता सीमाएँ।
 - समाज में पुनः एकीकरण के लिये व्यावसायिक प्रशकिषण।

भारत में भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी ढाँचा क्या है?

- **वर्तमान कानूनी ढाँचा:** भारत का संवधान केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को [समवर्ती सूची](#) (सूची III, प्रवर्षिटि 15) के अंतर्गत आवारागर्दी (भिक्षावृत्ति सहित), खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों पर कानून बनाने की अनुमतप्रदान करता है।
 - भिक्षावृत्ति पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, इसके बजाय, कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेश [बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959](#) का पालन करते हैं, जो भिखारी को भिक्षा मांगने वाले, बकिरी के लिये सामान पेश करने वाले या बेसहारा दिखने वाले व्यक्तिके रूप में परभिषति करता है।
- **न्यायिक रुख: हर्ष मंदर बनाम भारत संघ (2018) में,** दलिली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि [बॉम्बे अधिनियम](#) सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है और गरीबी को अपराध घोषित किये बना उसका समाधान करने के महत्त्व को रेखांकित किया।
 - वर्ष 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने [सार्वजनिक स्थानों से भिखारियों को हटाने](#) के लिये एक जनहति याचिका को खारज कर दिया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि [भिक्षावृत्ति एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है, अपराधिक नहीं।](#)
- **सरकारी प्रयास:**
 - **SMILE:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू की गई ["समाइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन"](#) (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE) योजना का उद्देश्य 2026 तक ["भिक्षा-मुक्त"](#) भारत की दशा में काम करते हुए, चकिर्तिसा देखभाल, शकिषा और कौशल प्रशकिषण प्रदान

करके भखारियों का पुनर्वास करना है।

- SMILE के तहत 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है, जिनमें 352 बच्चे शामिल हैं (वर्ष 2024 तक)।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 413670 भखारि हैं। पश्चिम बंगाल में भखारियों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।

भारत में कौन-से कारक भिक्षावृत्ति हेतु उत्तरदायी हैं और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

भिक्षावृत्ति में योगदान देने वाले कारक	समाज पर प्रभाव
आर्थिक कठिनाई: गरीबी, बेरोज़गारी और प्रवासन लोगों को भिक्षावृत्ति हेतु मजबूर करते हैं।	सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम: भिक्षावृत्ति वाले स्थानों पर स्वच्छता की कमी के कारण बीमारियों का प्रसार होता है।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक: कुछ समुदायों में जात विवस्था तथा वंशानुगत व्यवसाय भिक्षावृत्ति में योगदान करते हैं।	अपराध और शोषण: संगठित भिक्षावृत्ति वाले गरीब/समूह व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें बाल तस्करी तथा बलात् श्रम शामिल है।
शारीरिक एवं मानसिक दय्यांगता: पुनर्वास एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी के कारण दय्यांगजन प्रायः भिक्षावृत्ति का सहारा लेते हैं।	पर्यटन और शहरी प्रभाव: अत्यधिक भिक्षावृत्ति से पर्यटन, सुरक्षा और शहरी स्थानों के संबंध में लोगों की धारणा प्रभावित होती है।
प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़, सूखा और भूकंप के कारण वसिस्थापन के चलते निर्धनता में वृद्धि होती है तथा भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ती है।	मानवाधिकार उल्लंघन: भखारियों को प्रायः भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों के तहत गरिफ्तार तो किया जाता है लेकिन वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध नहीं कराए जाते साथ ही, गरीब और हाशिये पर जीवन-यापन कर रहे लोगों को लक्षित किया जाता है।
संगठित भिक्षावृत्ति वाले गरीब: मानव तस्कर और आपराधिक समूह कमजोर व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें सहानुभूति-प्रेरित दान प्राप्त करने के लिये बदले शर्तों को मादक पदार्थ देना भी शामिल है।	सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ: भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के कुपोषण होने के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों तथा सार्वजनिक कल्याण संसाधनों पर दबाव पड़ता है।

भारत में भिक्षावृत्ति के मुद्दे को संबोधित करने के लिये क्या दृष्टिकोण होना चाहिये?

- आश्रय, कौशल विकास और **MGNREGA** तथा **PMAY** जैसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से पुनर्वास को दृढ़ करना।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** के तहत भिक्षावृत्ति वाले गरीब को समाप्त करने के लिये मानव तस्करी विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए, जिसमें पुलिस, **गैर-सरकारी संगठनों (NGO)** और बाल कल्याण संगठनों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।
- भिक्षुओं के लिये मोबाइल क्लीनिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समावेशन के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वच्छता की पहुँच में सुधार करना।
- सामाजिक जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देना चाहिये, ताकि किलंक कम हो और पुनर्वास में नागरिक समाज की भागीदारी प्रोत्साहित हो।

नबिर्कष:

सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबी को अपराध नहीं बनाया जा सकता तथा राज्य पर यह सकारात्मक, अपूरणीय दायित्व है कि वह ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करे। इस फैसले ने भारत भर के भिक्षुओं के लिये करुणा, सामाजिक न्याय और मानव गरमा पर जोर देते हुए एक नया संवैधानिक दृष्टिकोण स्थापित किया है।

प्रश्न-उत्तर:

प्रश्न. "भारत में भिक्षावृत्ति वियक्तगित वकिल्प की बजाय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और नीतगित वफिलताओं का प्रतबिबि है।" भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिये संभावित उपायों पर चर्चा कीजिये।